

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- तेजू पुत्र गोपी जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य -प्रार्थीगण

बनाम

- उर्मिला देवी पत्नी छोटूलाल जाति माली निवासी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान अन्य। -अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 251(क) राज.का. अधि. 1955

नंबर 47/2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 56...

वकील प्रार्थी :- विजेन्द्र सिंह

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
21/07/2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी सुधीर अग्रवाल के सम्मन अग्रवाल वानत वलदी इत्यादि पत्रावली दिनांक 06/07/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
06/07/24	पत्रावली पेश हुई आज किशनगढ ए.ए. की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 04/10/24 को पेश हो।	

20/8/15

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षाकारण उप.।

~~श्रीमान श्री राजीव रिपुडित~~

पत्रावली दिनांक 8/8/15 को पेश हो

~~श्री~~
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

8/8/15

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षाकारण उप.

~~श्रीमान श्री राजीव रिपुडित~~

पत्रावली दिनांक 3/10/15 को पेश हो

~~श्री~~
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

3/10/15

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षाकारण उप.

न्यायालय सदन में सुनने के लिये

दोषादि प्रमाणों के लिये किन्तु कोर्ट

उपस्थित नहीं हुए। किन्तु पत्रावली

दोषादि प्रमाणों के लिये पेश की गयी

गिना जाता है। पत्रावली केवल सुपारदित

नम्बर है।

~~श्री~~